भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2180

12 फरवरी, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

पारगमन-उन्मुख विकास नीतियां

†2180.श्री यदुवीर वाडियारः

श्री चंदन चौहानः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान शहरों द्वारा अपनाई गई पारगमन-उन्मुख विकास नीतियों की क्या स्थिति है;

(ख) शहरी परिवहन नियोजन को किस प्रकार जलवायु-सुनम्यता और कम कार्बन उत्सर्जन के उद्देश्यों के अनुरूप किया जा रहा है;

(ग) क्या पैदल यात्रियों और साइकिल चलाने वालों के लिए अनुकूल अवसंरचना हेतु निधि उपलब्ध कराई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) शहरी जलवायु अनुकूलन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अंतर्गत कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) शहरों को एकीकृत भूमि उपयोग और गतिशीलता नियोजन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ): भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, शहरी परिवहन नियोजन सहित शहरी नियोजन, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहयोग करती है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 2017 में जारी राष्ट्रीय पारगमन उन्मुख विकास (टीओडी) नीति, भूमि उपयोग नियोजन को मेट्रो और बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) जैसी जन पारगमन प्रणालियों के अनुरूप बनाकर सतत सघन शहरी विकास को बढ़ावा देती है। यह नीति परिवहन स्टेशनों के 500-800 मीटर के भीतर बेहतर फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर), उन्नत गैर-मोटर चालित परिवहन और बहुआयामी कनेक्टिविटी के समर्थन से उच्च घनत्व वाले, मिश्रित उपयोग विकास को प्रोत्साहित करती है, जिसका उद्देश्य निजी वाहनों पर निर्भरता को कम करना है।

इस नीति के प्रमुख लक्ष्यों में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ाना, यात्रा की मांग को कम करना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए समावेशी आवास सुनिश्चित करना, पैदल चलने की सुविधा और सुरक्षा में सुधार करना तथा जलवायु-अनुकूल आवागमन को विकसित करना शामिल है। यह नीति सघन विकास, किफायती आवास एकीकरण, मिश्रित भूमि उपयोग और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) तथा लैंड वैल्यू कैप्चर जैसे साधनों के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी जैसे सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है।

इसके अलावा, मेट्रो नीति 2017 के अनुसार, मेट्रो परियोजना प्रस्ताव में अनिवार्य रूप से पारगमन उन्मुख विकास पर एक अध्याय होना चाहिए, जिसमें प्रस्तावित इंटरमॉडल एकीकरण, सार्वभौमिक पहुंच, पर्याप्त पैदल मार्ग, गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन के लिए स्टेशन, साइकिल और निजी वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थल साथ ही सभी मेट्रो स्टेशनों पर फीडर बसों की आवाजाही के लिए पर्याप्त व्यवस्था शामिल हो।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) को 25 जून 2015 को देश भर के चयनित 500 शहरों (15 विलयित शहरों सहित 485 शहरों) और कस्बों में शुरू किया गया था। अमृत के अंतर्गत, गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन अमृत मिशन के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है, जिसमें पैदल यात्री, गैर-मोटर चालित और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, साइकिल ट्रैक, पार्किंग स्थल आदि का प्रावधान शामिल है, जो कम कार्बन उत्सर्जन के उद्देश्यों के साथ पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा देता है। अब तक, 1,020.7 करोड़ रुपये की 348 परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं, जिनमें से 983.16 करोड़ रुपये के कार्यों को भौतिक रूप से पूरा किया जा चुका है। 430 किमी लंबे पैदल मार्ग और 43 किमी लंबे समर्पित साइकिल ट्रैक का निर्माण किया गया है।

शहरी जलवायु अनुकूलन को अमृत और अमृत 2.0 जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत समर्थन दिया जा रहा है। हरित क्षेत्रों और पार्कों का विकास अमृत मिशन का एक अन्य प्रमुख क्षेत्र है। अमृत मिशन के तहत पूरी की गई 2,497 हरित क्षेत्र और पार्क परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 5,277 एकड़ पारगम्य हरित क्षेत्र विकसित किया गया है। इसके अलावा, अमृत मिशन के तहत 71.29 करोड़ रुपये की लागत से 9 जलाशयों के पुनरुद्धार की परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं।

अमृत 2.0 को वर्ष 2021 में सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरों में शुरू किया गया था। इस मिशन के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजनाओं का चयन, मूल्यांकन, प्रस्ताव और कार्यान्वयन करने का अधिकार दिया गया है। अमृत 2.0 के अंतर्गत, जलाशयों और कुओं का पुनरुद्धार इस मिशन के प्रमुख घटकों में से एक है। इसके तहत स्वीकार्य घटकों में तूफानी वर्षा जल निकासी नालियों के माध्यम से वर्षा जल का संग्रहण करके उसे ऐसे जलाशय में डालना शामिल है (जिसमें सीवेज/अपशिष्ट पदार्थ नहीं आते हैं)। अमृत 2.0 के तहत, अब तक 6,223.48 करोड़ रुपये की 3,016 जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाओं को अनुमोदन दिया जा चुका है। अमृत 2.0 के तहत, अब तक 1,117.48 करोड़ रुपये की 1,665 हरित क्षेत्र और पार्क परियोजनाओं को भी अनुमोदन दिया जा चुका है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने पीएम-ईबस सेवा योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य 20,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता (सीए) के साथ 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को शुरु करना है। अब तक, पीएम ईबस सेवा के तहत 18 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों के 110 शहरों में विकास के लिए 9642 इलेक्ट्रिक बसों को स्वीकृति दी जा चुकी है।

मंत्रालय, राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना (एसएसएएससीआई) के माध्यम से शहरी नियोजन पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने में भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करता है। एसएसएएससीआई के टीओडी घटक के अंतर्गत, सरकार राज्यों और शहरों को टीओडी गलियारों को अधिसूचित करने के लिए पूंजीगत निधि प्रोत्साहन प्रदान करती है। साथ ही, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्पंज शहरों के निर्माण, शहरी वनों के निर्माण, जलाशयों के संरक्षण और पुनरुद्धार तथा मौजूदा कुओं के पुनरुद्धार के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाता है। एसएसएएससीआई 2023-24 और 2024-25 (शहरी नियोजन सुधार) के तहत, छह राज्यों में अट्ठाईस टीओडी गलियारों को अधिसूचित किया गया था।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को टीओडी को अपनाने तथा क्रियान्वित करने के लिए अधिक प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने एसएसएएससीआई योजना 2025-26 में शहरी नियोजन सुधारों के तहत टीओडी घटकों का विस्तार किया है, जिसमें एक समर्पित एस्क्रो खाते के साथ शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास कोष (यूआईडीएफ) के निर्माण के लिए प्रोत्साहन और बेहतर लेवी और उपकर शुल्क के प्रावधान भी शामिल हैं।
